रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2005/कार्तिक 20, 1927
No. 297] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2005/KARTIKA 20, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

सं. 8/35/2005-ई. एस.—जबकि अप्रैल 2004 में, संयुक्त राष्ट्र इराक तेल के बदले अनाज कार्यक्रम (यहां इसके बाद "कार्यक्रम" के रूप में उल्लिखित) को लागू करने एवं उसके प्रबंधन में लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इराक में उस कार्यक्रम को लागू करने तथा उसके प्रबंधन की जाँच करने हेतु एक स्वतंत्र, उच्च-स्तरीय जाँच समिति की नियुक्ति की थी ;

और जबकि इसके पश्चात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकमत से संकल्प 1538 (2004) को पारित किया जो जाँच का समर्थन करता है । तीन सदस्यीय स्वतंत्र जाँच समिति (जिसका इसके बाद "समिति" के रूप में उल्लेख किया गया है) की अध्यक्षता संयुक्त राज्य फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष श्री पॉल वोल्कर ने की थी ;

और जबकि 27 अक्तूबर, 2005 को इस समिति ने अपनी 5 वीं तथा अंतिम तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट उस तरीके को स्पष्ट करती है जिसके माध्यम से इराक ने राजनीतिक वरीयता के आधार पर ठेके देने और तेल तथा मानवीयता आधारित सहायता संविदाए प्राप्त करने वाली कम्पनियों से अवैध भुगतान प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को छल से प्रभावित किया ;

और जबकि उसी दिन, समिति ने कार्यक्रम के अंतर्गत 8 व्यापक सारणियों का एक सैट भी जारी किया जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत ठेकेदारों तथा कार्यक्रम के लेन-देन (इराक के तेल आवंटनों के गैर-संविदात्मक लाभार्थियों एवं पार्टियों सहित जिन्होंने तेल से संबंधित लेन-देनों का वित्त पोषण किया था) में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पहचान कराई गई है ;

3269 GI/2005

और जबकि सारणी 1 से 5 में तेल के लेन-देन के ब्यौरे हैं, जबकि सारणी 6 से 8 में मानवीय सहायता से संबंधित लेन-देन का विवरण है ;

और जबकि सारणी 3 में एक संविदा जो मैसफील्ड ए0जी0, स्विटजरलैंड, कंपनी के नाम पर है और जिसका नम्बर एम/09/54 है, के ब्यौरों से पता चलता है कि 2,000,000 बैरल तेल का आवंटन संभवतः किया गया था और 1,936,000 बैरल तेल का उठान किया गया। सारणी 5 की ऐसी ही प्रविष्टि में संविदा सं0 एम/09/54 और मैसफील्ड ए जी कंपनी दर्शाती है कि 498,973 अमरीकी डॉलर की राशि अधिभार के रूप में उगाही गई थी और श्री अंदलीब सहगल ने 13 मार्च, 2001 को 60,000 अमरीकी डॉलर की राशि जमा करवाई थी तथा मै0 हमदान एक्सपोर्ट ने दिनांक 27 मई, 2001 को 438,518 अमरीकी डॉलर की राशि जोर्डन नेशनल बैंक में जमा करवाई थी। इस संविदा के भावी लाभार्थी के रूप में "श्री के0 नटवर सिंह, भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य" को सूचीबद्ध किया गया है ;

और जबकि इसी प्रकार सारणी 3 में, संख्या एम/10/57 वाली एक संविदा के ब्यौरे, जो मैसफील्ड ए0 जी0, स्विटजरलैंड कंपनी के नाम में है, निर्दिष्ट करता है कि तेल के 1,000,000 बैरल संभवतः आवंटित किए गए थे और 1,001,000 बैरल उठाए गए थे। इस संविदा और मैसफील्ड ए0 जी0 कंपनी से संबंधित सारिणी 5 में तदनुरूपी प्रविष्टि यह निर्दिष्ट करती है कि 250,224 अमरीकी डालर अधिभार के रूप में लगाए गए थे और यह कि मैसर्स हमदान एक्सपोर्ट ने 11 जून,2001 को 59,808 अमरीकी डालर की राशि और 19 दिसम्बर,2001 को 190,214 अमरीकी डालर की एक और राशि जॉर्डन नेशनल बैंक में जमा करवाई थी। इस आवंटन के भावी लाभार्थी के रूप में "भारत-कांग्रेस पार्टी" को सूचीबद्ध किया गया है ;

और जबकि श्री के0 नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी का उल्लेख निश्चित रूप से सार्वजनिक महत्व का मामला बनता है और परिणामतः सरकार ने इस मामले की जड़ तक जाने का निर्णय लिया है ताकि वोल्कर समिति की रिपोर्ट में निहित अधिभार की अदायगी से संबंधित असत्यापित संदर्भों की सत्यता या अन्यथा को प्रमाणित किया जा सके ;

और जबकि ऐसा करने के उद्देश्य से यह वांछनीय महसूस किया गया कि सरकार के आदेश द्वारा एक जाँच प्राधिकरण की स्थापना की जाए ;

अब, अतएव भारत सरकार एतदद्वारा न्यायमूर्ति श्री आर0एस0पाठक,भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय प्राधिकरण की स्थापना का संकल्प करती है और उक्त प्राधिकरण का नाम 'न्यायमूर्ति आर0एस0 पाठक जांच प्राधिकरण' होगा ।

2. जांच प्राधिकरण के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

(1) एम/9/54 और एम/10/57 संख्या वाली संविदाओं से संबंधित उक्त समिति की रिपोर्ट (सारणियों सहित) के संदर्भों सहित स्वतंत्र जांच समिति (संयुक्त राष्ट्र तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त) के पास उपलब्ध सूचना, सामग्रियों तथा दस्तावेजों के स्त्रोतों की जांच करना एवं उक्त स्त्रोतों, सामग्रियों तथा दस्तावेजों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के संबंध में अपनी राय देना एवं उनकी राय में तेल के ये संभावित लेन देन सही हैं या नहीं यह भी बताना ।

(2) पूर्वोक्त सूचना, सामग्रियों तथा दस्तावेज और कोई भी अन्य सामग्री या साक्ष्य जो कि जांच प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले हैं उनकी जांच करना तथा एम/9/54 और एम/10/57 संख्या वाली संविदाओं के संबंध में भारतीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों के उल्लेख न्यायोचित हैं या नहीं इस संबंध में अपनी राय देना ।

(3) इस प्रश्न की जांच करना कि संविदा सं0 एम/9/54 और एम/10/57 के संबंध में संयुक्त राष्ट्र तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत तेल में संभावित लेन-देनों के संबंध में क्या किसी भारतीय संस्था अथवा व्यक्ति ने किसी सरकार,एजेंसी,कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति से कोई धन अथवा अन्य प्रतिफल प्राप्त किया है अथवा उन्हें किसी धन या अन्य प्रतिफल का भुगतान किया है ।

(4) संविदा सं0 एम/9/54 तथा एम/10/57 से संबंधित जांच के संगत विषय या अन्य किसी पहलू की जांच करना ।

(5) ऐसी सिफारिशें अथवा सुझाव देना जिन्हें जांच प्राधिकरण आवश्यक अथवा समुचित समझता हो ।

3. प्राधिकरण के पास बैठकों के स्थान और समय निर्धारित करने तथा बैठक सार्वजनिक स्थल पर होगी अथवा निजी स्थल पर इसका निर्धारण करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी ।

4. प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

5. प्राधिकरण अपने निष्कर्षों को पूरा करेगा और यदि सरकार द्वारा समय नहीं बढ़ाया जाता है तो अपनी रिपोर्ट छः महीने की समयावधि में प्रस्तुत करेगा ।

के. एम. चन्द्रशेखर, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th November, 2005

No. 8/35/2005-E.S.—Whereas, in April, 2004, following serious public allegations into the administration and management of the United Nations Iraq Oil-for-Food Programme (hereinafter referred to as the "Programme"), the United Nations Secretary-General appointed an independent, high-level inquiry to investigate the administration and management of the Programme in Iraq ;

AND WHEREAS, following this, the United Nations Security Council unanimously adopted Resolution 1538 (2004), which endorsed the inquiry. The three member Independent Inquiry Committee (hereinafter referred to as the "Committee") was headed by Mr. Paul Volcker, former Chairman of the United States Federal Reserve;

AND WHEREAS on 27th October, 2005 the Committee submitted its 5th and final substantive report in which it has been stated that the Report illustrates the manner in which Iraq manipulated the Programme to dispense contracts on the basis of political preference and to derive illicit payments from companies that obtained oil and humanitarian aid contracts;

AND WHEREAS on the same day, the Committee also released a set of 8 comprehensive tables identifying contractors under the Programme and other actors of significance to Programme transactions (including non-contractual beneficiaries of Iraqi oil allocations and parties that financed oil transactions);

AND WHEREAS Tables 1 to 5 contain details of oil transactions and Tables 6 to 8 deal with transactions relating to humanitarian aid;

AND WHEREAS in Table 3, details of one contract bearing number M/09/54, in the name of the company Masefield AG, Switzerland, indicate that purportedly 2,000,000 barrels of oil were allocated and 1,936,000 barrels were lifted. The corresponding entry in Table 5 relating to contract bearing No.M/09/54 and the company Masefield AG indicates that US$ 498,973 was levied as surcharge and that Shri Andleeb Sehgal deposited an amount of US$ 60,000 on 13th March, 2001 and M/s Hamdan Export deposited an amount of US$ 438,518 on 27th May, 2001 in the Jordan National Bank. The intended beneficiary of this contract has been listed as 'Mr. K. Natwar Singh, Member of Indian Congress Party';

AND WHEREAS, similarly, in Table 3, details of one contract bearing number M/10/57, in the name of the company Masefield AG, Switzerland, indicate that purportedly 1,000,000 barrels of oil were allocated and 1,001,000 barrels were lifted. The corresponding entry in Table 5 relating to this contract and the company Masefield AG indicates that US$ 250,224 was levied as surcharge and that M/s Hamdan Export deposited an amount of US$ 59,808 on 11th June, 2001 and another amount of US$ 190,214 on 19th December, 2001 in the Jordan National Bank. The intended beneficiary of this contract has been listed as 'India - Congress Party';

AND WHEREAS the references to Shri K. Natwar Singh and the Congress Party constitute a matter of definite public importance and consequently the Government has decided to go to the root of this matter, in order to establish the truth or otherwise of the unverified references relating to payment of surcharge contained in the Volcker Committee's Report.;

AND WHEREAS in order to do so, it is felt desirable that an Inquiry Authority may be set up;

3269 GI/05-2

NOW, THEREFORE, the Government of India hereby resolves to set up a single member Inquiry Authority to be headed by Mr. Justice R.S. Pathak, former Chief Justice of India and former Judge of the International Court of Justice and the said Authority would be named the 'Justice R.S. Pathak Inquiry Authority'.

2. The Terms of Reference of the Inquiry Authority would be as follows :-

(1) To inquire into the sources of information, materials and documents that were available with the Independent Inquiry Committee (appointed by the Secretary General of the United Nations to investigate the administration of the UN Oil-For-Food-Programme) with reference to the Report (including the Tables) of the said Committee pertaining to contracts bearing number M/9/54 and number M/10/57 and to give its opinion on the authenticity and reliability of the said sources, materials and documents, and whether, in its opinion, the purported transactions in oil are genuine or not.

(2) To inquire into the aforesaid information, materials and documents, and any other material or evidence that may be obtained by the Inquiry Authority, and to give its opinion whether the references to Indian entities and individuals pertaining to contracts bearing number M/9/54 and number M/10/57 are justified or not.

(3) To inquire into the question whether any Indian entity or individual received any money or other consideration from, or paid any money or other consideration to, any Government, agency, company, firm or individual in connection with the purported transactions in oil under the United Nations Oil-For-Food Programme pertaining to contracts bearing numbers M/9/54 and number M/10/57.

(4) To inquire into any other aspect or matter relevant to the Inquiry pertaining to contracts bearing number M/9/54 and number M/10/57.

(5) To make any recommendations or suggestions that the Inquiry Authority may consider necessary or proper.

3. The Authority shall have powers to regulate its own procedure including the fixing of places and times of its sittings and deciding whether to sit in public or in private.

4. The Headquarters of the Authority shall be at Delhi.

5. The Authority shall complete its findings and submit its report to the Government within a time period of six months, unless extended by the Government.

K. M. CHANDRASEKHAR, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publieations, Delhi-110054.